भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3430
20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अपशिष्ट पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण

3430. डॉ. अमर सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से ऊर्जा-प्रधान और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कच्चे माल के निष्कर्षण की मांग कम हो जाती है, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में महत्व दिया जाता है और पर्यावरण में रिसने वाले अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट की पांच श्रेणियां अर्थात प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है, ताकि अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनोमी का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

ईपीआर विनियमन कचरे के पुनर्चक्रण के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपशिष्ट श्रेणी के प्रकार के आधार पर पुनर्चक्रित सामग्री के पुनः उपयोग और उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट और टायर अपशिष्ट पर ईपीआर विनियमन आगे के उपयोग के लिए नवीनीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमन के कार्यान्वयन से अपशिष्ट प्रबंधन

अवसंरचना और पुनर्चक्रण उद्योग का और अधिक विकास होगा, कूड़े और अप्रबंधित कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पुनर्चक्रण के माध्यम से मूल्यवान सामग्री की पुनः प्राप्ति होगी। इस प्रकार, पर्यावरण सुरक्षा और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

*****